12-12-18

डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम गाजनगढ मे पाली जोधपुर सडक पर टोल प्लाजा के पास टोल पर आवश्यक सुविधाओं हेतु प्रार्थी द्वारा निर्माण किया जा रहा था। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.7.2018 के द्वारा उक्त निर्माणाधीन भवन को सीज करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त कार्यवाही से आवश्यक निर्माण कार्य बन्द होने से टोल पर आवश्यक सुविधाओं मे बाधा उत्पन्न हो गयी है। अतः न्यायहित मे पुनः निर्माण करने के आदेश प्रदान करावें।

उपस्थित रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम गाजनगढ मे पाली जोधपुर सडक पर टोल प्लाजा के पास बिना भू–उपयोग परिवर्तन करवायें एवं बिना निर्माण स्वीकृति के कार्यालय भवन/आवासीय भवन का निर्माण कर दिया। टोल प्लाजा के पास की भूमि पर बिना भू–उपयोग परिवर्तन करवायें एवं बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण किया जा सकता है अथवा नही, के संबंध मे जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर विधिक राय हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त विधिक राय के पश्चात ही स्थगन प्रार्थना के संबंध निर्णय करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण विधिक राय हेतु नगरीय विकास विभाग, जयपुर मे विचाराधीन होने से किसी प्रकार का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः स्थगन प्रार्थन पत्र खारीज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।